नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पशुपति नाथ गुदर बाबा मठ बरडीहा दल के अर्न्तगत कृषि योग्य भूमि मौजा बरडीहा दल में रकबा 21.138 हेक्टेयर, मौजा अहिरौली में कृषि योग्य भूमि रकबा 2.302 हेक्टेयर एवं मौजा डम्बरपुर में कृषि योग्य भूमि रकबा 3.533 हेक्टेयर का (खरीफ) एक फसली की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु दिनांक 11.04.2025, दिनांक 16.05.2025 एवं 05.07.2025, 28.08.2025 एवं 17.11.2025 को नियत की गयी थी। किसी भी बोलीकर्ता के उपस्थित न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही सम्पादित नही की जा सकी। खरीफ की फसल का समय समाप्त हो चुका है। जिस कारण खरीफ की फसल की नीलामी समाप्त की जाती है।

पुनः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पशुपति नाथ गुदर बाबा मठ बरडीहा दल के अर्न्तगत कृषि योग्य भूमि मौजा बरडीहा दल में रकवा 21.138 हेक्टेयर, मौजा अहिरौली में कृषि योग्य भूमि रकवा 2.302 हेक्टेयर एवं मौजा डम्बरपुर में कृषि योग्य भूमि रकवा 3.533 हेक्टेयर का (रवी एवं खरीफ) की दो फसली की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांक– 08.04.2026 के अनुपालन मे बरडीहा दल मठ में कृषि योग्य भूमि मौजा बरडीहा दल में रकवा 21.138 हेक्टेयर, मौजा अहिरौली में कृषि योग्य भूमि रकवा 2.302 हेक्टेयर एवं मौजा डम्बरपुर में कृषि योग्य भूमि रकवा 3.533 हेक्टेयर का (रवी एवं खरीफ) दो फसली की नीलामी, वित्तीय वर्ष 2026–2027 हेतु दिनांक 21.04.2026 को अपराह्न 04.30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में दस कक्षीय न्यायालय भवन मे स्थित केन्द्रीय सभागार कक्ष में नीलामी समिति की देखरेख मे नीलामी सम्पन्न होगी।

उक्त बरडीहा दल मठ के तीनो वर्णित मौजो में कृषि योग्य भूमि की नीलामी हेतु पूर्व मे नीलामी की धनराशि को प्रारम्भिक धनराशि मानकर (रवी एवं खरीफ) मु0–910100/–रू0 (नौ लाख दस हजार एक सौ रूपये मात्र) पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि समायोजित करते हुए मु0 10,01,110/–रु0 (दस लाख एक हजार एक सौ दस रुपये मात्र) को आधार मानकर (रवी व खरीफ) दो फसली की नीलामी प्रारम्भ की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली मे भाग ले सकते है।

नीलामी की शर्ते

1– प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व बरडीहा दल मठ में कृषि योग्य भूमि हेतु मु0 10,01,110/–रु0 (दस लाख एक हजार एक सौ दस रुपये मात्र), बतौर जमानत के रुप मे कार्यालय नजारत जजी देवरिया मे जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

2– बरडीहा दल मठ में कृषि योग्य भूमि हेतु नीलामी मे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण–पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– कोई भी व्यक्ति/ठेकेदार किसी दूसरे व्यक्ति/ठेकेदार के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/ठेकेदार का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

4– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 20 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रुप मे तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

5– प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6– जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

7– नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 21.04.2026 को कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे अपरान्ह 01.30 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8– नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

सदस्य,
09.04.26
(विवेक कुमार सिंह–II),
व्यवहार न्यायाधीश (सी0डी0),
कक्ष सख्या 18, देवरिया
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

सदस्य,
09/04/26
(हरीराम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–प्रथम
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

अध्यक्ष,
9/4/26
(रवि यादव),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सख्या 01
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :–

1– सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2– जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3– कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4– जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
5– अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु ।
6– जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।
07– बरडीहा दल मठ के चौकीदार को सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।

सदस्य,
09.04.26
(विवेक कुमार सिंह–II),
व्यवहार न्यायाधीश (सी0डी0),
कक्ष सख्या 18, देवरिया
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

सदस्य,
09/04/26
(हरीराम),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय–प्रथम
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।

अध्यक्ष,
9/4/26
(रवि यादव),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सख्या 01
नीलामी समिति,
जजी,देवरिया।